न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्रीमती मदीना बानो पत्नी फेज मों. देशवाली सां. निवासी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 27 / 18

निर्णय दिनांक 25 / 10 / 2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद मेहगांव के ख.न 170 रकबा 1.02 है. भूमि किस्म बारानी 2 में बाडा / काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थीया के देवर से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 22.10.2018 को उपस्थित हुए तथा लिखित मे कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। पत्रावली दिनांक 25.10.2018 को पेश हुई, अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 1.02 है. भूमि के 5.10 रूपये लगान का 50 गुणा 255 / – अक्षरे दो सौ पचपन रूपये बतौर जुर्माना कायम दंडित किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई गई मूंग की फसल को भू.अ.निरीक्षक परबतसर द्वारा कुर्क कर निलाम करने हेतु लिखा जावें। जुर्माना एंव फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का पीपलाद एंव भू.अ.निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का पीपलाद को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार परबतसर

पंजिका नं. वर्ष 2018-19 के पृष्ठ सं. 12

पर क्र.सं. पर 255/– रु० की

मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner